

व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र
कोलकाता - 700064

कार्यालय आदेश

संख्या: बीओपीटी/110/03/आरटीआईएमआईएस/61

सितम्बर 18, 2023

एक निर्धारित प्रारूप में आरटीओ अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत आवश्यक सभी जानकारी के लिए सू-मोटो के प्रकटीकरण और नियमित अद्यतन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशों का पालन करने के लिए निम्नलिखित परामर्श समिति का गठन किया गया है।

समिति में निम्नलिखित शामिल हैं

- | | |
|---|------------|
| 1. उप निदेशक, बीओपीटी (ईआर) | अध्यक्ष |
| 2. प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी, बीओपीटी (ईआर) | सदस्य |
| 3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, बीओपीटी (ईआर) | सदस्य |
| 4. सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, बीओपीटी (ईआर) | सदस्य सचिव |



एस.एम. एजाज़ अहमद

निदेशक

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. उप निदेशक, बीओपीटी (ईआर)
2. प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी, बीओपीटी (ईआर)
3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, बीओपीटी (ईआर)
4. सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, बीओपीटी (ईआर)
5. जेटीओ, हिंदी अनुभाग, बीओपीटी (ईआर)

हस्त/-

एस.एम. एजाज़ अहमद

निदेशक